

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 404]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2018 — आश्विन 14, शक 1940

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2003/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के उप-नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“(7) संबंधित जिला कलेक्टर, आवेदन प्रस्तुत करने पर, पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज के अस्थायी भण्डारण/बेनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशिंग अथवा अनुज्ञा पत्र क्षेत्र पर भण्डारण/बेनीफिकेशन/प्रसंस्करण/क्रशिंग के दौरान एकत्रित अवशिष्ट खनिज को गौण खनिज के रूप में निर्माण गतिविधियों या खनिज संरक्षण की दृष्टि से अन्य कार्यों में उपयोग/विक्रय के लिये अनुमति प्रदान करेगा:

परन्तु यह कि उप-नियम (7) के अधीन अनुमति दिये जाने के पूर्व, ऐसे गौण खनिजों का प्रतिनिधि नमूना अनुज्ञा क्षेत्र से विभागीय अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जायेगा। इन नमूनों का प्रयोगशाला में आवश्यक परीक्षण किये जाने के उपरांत ही निश्चित मात्रा और निश्चित कालावधि के लिये गौण खनिज के रूप में उपयोग/विक्रय करने की अनुमति दी जायेगी।”

2. प्ररूप-2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“प्ररूप-2

[(नियम 4 (2)(एक) देखिये)]

खनिज रियायत धारकों के लिये अभिवहन पास जारी करने हेतु आवेदन पत्र

1. पट्टा/अनुज्ञप्ति/अनुज्ञापत्र/
परिवहन अनुमति धारक का नाम और पता
2. पूर्ण पता
3. स्थल की अवस्थिति
 - (क) खसरा क्रमांक
 - (ख) रकबा
 - (ग) ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम.....
 - (घ) तहसील/जिला
4. खनिज का नाम
5. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण सम्मति जारी होने का दिनांक और अवधि
6. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन सम्मति जारी करने का दिनांक और अवधि
7. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन सम्मति जारी करने का दिनांक और अवधि
8. इस वित्तीय वर्ष हेतु खनन योजना में उत्पादन क्षमता (टन में/घनमीटर में)
9. इस वित्तीय वर्ष हेतु पर्यावरण सम्मति में उत्पादन क्षमता (टन में/घनमीटर में)
10. इस वित्तीय वर्षके दौरान आज दिनांक तक उत्पादन किये गये खनिज की मात्रा(टन में/घनमीटर में)
11. इस वित्तीय वर्ष के दौरान आज दिनांक तक निकास किये गये खनिज की मात्रा(टन में/घनमीटर में)
12. वर्तमान में परिवहन हेतु आवेदित खनिज की मात्रा(टन में/घनमीटर में)

13. रायल्टी रूपये का भुगतान चालान क्र. दिनांक द्वारा किया गया
14. अभिवहन पास पुस्तिका का मूल्य रूपये का भुगतान चालान क्र. दिनांक द्वारा किया गया।
(ऑनलाईन अभिवहन पास जारी होने की स्थिति में लागू नहीं)

संलग्न:-सरल क्रमांक 13 एवं 14 के अनुसार।

स्थान :-

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पता"

टीप:- छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 को जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 27-07-2009 को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 दिनांक 14-08-2009 के पृष्ठ क्रमांक 1168-1196 में प्रकाशित किया गया था। जिसके हिन्दी पाठ में अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 27-03-2010, 05-08-2013 द्वारा संशोधित किया गया तथा अधिसूचना दिनांक 05-03-2018 के हिन्दी पाठ का अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 25-02-2015 द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। मूल नियम को अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 18-03-2015 संशोधित किया गया तथा अंतिम बार अधिसूचना दिनांक 05-04-2017 द्वारा संशोधित किया गया।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफफत आरा, उप सचिव।

अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 7-9/2003/12, - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-9/2003/12, दिनांक 06-10-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफफत आरा, उप सचिव।

Atal Nagar, the 6th October 2018

NOTIFICATION

No. F 7-9/2003/12.-In exercise of the powers conferred by Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After sub-rule (6) of rule 4, the following shall be added, namely:-

"(7) Collector of concerned District shall grant permission on submission of application for use/sale of abandoned minerals as minor mineral in construction activities or in view of conservation of minerals in other works collected during temporary storage/beneficiation/ processing/crushing of minerals outside lease area or storage beneficiation/processing/crushing at permit area:

Provided that, before grant of permission under sub rule (7) representative samples of such minor minerals shall be collected by the departmental officer from permit area. Permission for use/sale as minor mineral for specific quantity and specified period shall be given after necessary testing of these samples in laboratory."

2 For Form-2, the following shall be substituted, namely: -

"Form-2

[(See rule 4(2)(i))]

APPLICATION FOR ISSUE OF TRANSIT PASS FOR THE MINERAL CONCESSION HOLDERS

1. Name and address of Lease/Licence/Permit/Transported permission holder
2. Full address
3. Location of venue
 - (a) Khasra number
 - (b) Area
 - (c) Name of Village/Gram Panchayat
 - (d) Tahsil/ District

4. Name of mineral
5. Date and period of issue of environment clearance under Environment Conservation Act, 1986.....
6. Date and period of issue of consent under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.....
7. Date and period of issue of consent under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.....
8. Production capacity in the Mining Scheme for this Financial Year
(in tonne/in cubic meter)
9. Production capacity in the Environment Clearance for this Financial Year(in tonne/in cubic meter)
10. Quantity of mineral produced till date during this Financial Year.....(in tonne/in cubic meter)
11. Quantity of mineral dispatched till date during this Financial Year.....(in tonne/in cubic meter)
12. Quantity of mineral applied for present transportation (in tonne/in cubic meter)
13. Royalty of Rupees paid vide Challan Number..... date.....
14. Cost of Transit Pass Book Rupees..... paid vide Challan Number..... date.....
(not applicable in case of Transit Pass issued online)

Enclosures:- As per Serial number 13 and 14.

Place.....

Date.....

Signature of Applicant

Name

Address"

Note:- For Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, Notification No. F 7-9/2003/12, dated 27-7-2009 issued and published in Chhattisgarh Gazette part-1 dated 14.8.2009 at page no. 1168-1196. The corrigendum made in the original Rules vide notification dated 27-3-2010 and Rules were revised on 27-3-2010, 5-8-2013, 25-2-2015, and 18-3-2015, the original Rules was last updated by notification no. F 7-9/2003/12, dated 5-4-2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Deputy Secretary.